<u>अधिसूचना</u> नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 11/2016-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ.).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना सं0 25/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, जो सा.का.नि. 151(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 85 के अधीन अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर वाले मीडिया (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मीडिया कहा गया है), जिस पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उक्त मीडिया के पैकेज पर उसका खुदरा विक्रय मूल्य घोषित करना अपेक्षित नहीं है, को उस पर उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उदग्रहणीय उतने अतिरिक्त शुल्क से छूट प्रदान करती है, जिसका अवधारण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 4 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया है और जो उक्त मीडिया पर अभिलिखित किए सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के मूल्य के भाग पर संदेय शुल्क के समतुल्य है और जो वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66ङ के साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवा कर से उदग्रहणीय है :

परन्तु आयातकर्ता उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में उक्त मीडिया पर अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के मूल्य के संबंध में, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क को घोषणा करेगा, जो उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66ङ के साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवा कर से उदग्रहणीय है :

परंतु आयातकर्ता, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66ड़ के साथ पठित धारा 66ख के अधीन उक्त मीडिया पर अभिलिखित ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के मूल्य की बाबत जो सेवाकर से उदग्रहणीय है, की उपाबंध-1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में घोषणा करेगा;

परंतु यह और कि सेवाकर का संदाय करने का दायी व्यक्ति, सेवाकर नियम, 1994 के नियम 4 के साथ पठित उक्त वित्त अधिनियम की धारा 69 के अधीन

रजिस्ट्रीकृत है और उपाबंध-1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में उस पर उद्ग्रहणीय सेवाकर देने का वचनबंध करता है ।

उपाबंध-1

1. आयातकर्ता का नाम:

2. आयातकर्ता का पता:

3. प्रवेश पत्र सं0 (आयातित माल का):

4. सेवाकर संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति का सेवाकर का रजिस्ट्रीकरण :

सेवा में,

(i) सीमाशुल्क आयुक्त/प्रधान आयुक्त (अधिकारिता रखने वाला), (पूर्ण पता)

(ii) सेवा कर आयुक्त/प्रधान आयुक्त (अधिकारिता रखने वाला कार्यपालक और लेखापरीक्षा संबंधी अधिकारिता रखने वाला), (पूर्ण पता) [ऊपर (i) के माध्यम से]

महोदय,

मैं घोषित करता हूं कि,

1. मैंने प्रवेश पत्र सं0 ..... तारीख................. के अधीन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 85 के अधीन अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर वाले मीडिया का आयात किया है । मैंने अधिसूचना सं0 11/2016-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016 का फायदा लिया है और उक्त अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त मूल्य, जो वित्त अघिनियम, 1994 की धारा 66ड़ के साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवाकर की बाबत उदग्रहणीय है, ...रु0 है ।

2. मैंने सेवाकर (संलग्न जीएआर-7 चालान) का संदाय किया है या सेवा के ऐसे मूल्य पर सेवाकर अदा करने का वचन देता हूं जिसके लिए मैं सेवाकर रजिस्ट्रीकरण सं0.................. के अधीन (अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या सेवाकर आयुक्त के ब्यौरे)........... रजिस्ट्रीकृत हूं ।

आयातकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(क. कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार